चित्रकूट पुलिस

(1). "मिशन शक्ति फेज-5.0: का द्वितीय चरण महिलाओं की सुरक्षा व स्वावलंबन की नई पहल- जनपद चित्रकूट में महिला सुरक्षा, सम्मान, स्वालंबन, को समर्पित पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद के समस्त थानों की एण्टीरोमियों टीम द्वारा "मिशन शक्ति फेज-5.0 के द्वितीय चरण के तहत महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरुक किया गया तथा हेल्पलाइन नम्बरों व कानूनी प्रावधान के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य महिलाओं/बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन सुनिश्चित करना है-

1. जन-जागरूकता एवं शिकायत निस्तारण, स्कूल/कॉलेज, वर्किंग वूमेन हॉस्टल में जागरूकता कार्यक्रम, निम्न आय वर्ग बस्तियों, गांवों, वार्डों, मोहल्लों में चौपाल कार्यक्रम प्रमुख बाजारों, कस्बों व चौराहों पर जागरूकता व शिकायत निस्तारण।

2.महिला बीट पुलिस की भूमिका, प्रत्येक थाना क्षेत्र की महिला बीट पुलिस द्वारा जन-जागरूकता, साइबर अपराध से बचाव एवं साइबर हेल्पलाइन 1930 की जानकारी, महिला समस्याओं का त्वरित निस्तारण।

3.बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए विशेष आत्मरक्षा प्रशिक्षण, गुड टच/बैड टच की जानकारी।

महिला/बालिकाओं को सुरक्षा सम्बन्धित सेवाएँ

1076 – मुख्यमंत्री हेल्पलाइन

1090 – वीमेन पावर लाइन

181 – वीमेन हेल्पलाइन

112 – पुलिस आपातकालीन सेवा

102 – गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं हेतु एम्बुलेंस

108 – सामान्य एम्बुलेंस सेवा

1098 – चाइल्ड लाइन

101 – अग्निशमन सेवा

1930 – साइबर हेल्पलाइन व www.cybercrime.gov.in के बारे में जानकारियां दी गई।

इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हेल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओं को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों, स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चेकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदों/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की जाती।

(2). प्रेस नोट- चित्रकूट पुलिस
थाना कोतवाली कर्वी पुलिस टीम द्वारा चोरी की मोटरसाइकिल सहित 02 चोरो को किया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में, क्षेत्राधिकारी नगर श्री सत्येन्द्र सिंह के पर्यवेक्षण एवं प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री अभयराज सिंह के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री यादवेन्द्र प्रताप सिंह व उनकी टीम द्वारा चोरी की मोटरसाइकिल सहित 02 चोरो को गिरफ्तार किया गया।
बरामदगी
01 अदद चोरी की मोटरसाइकिल न0 UP96Q5189
गिरफ्तारी का दिनांक, समय एवं स्थान
दिनांक: 07.09.2026 स्थान: खोह पुलिस लाइन तिराहा
संक्षिप्त विवरण
उल्लेखनीय है कि दिनांक 08.08.2026 को वादी श्री रिंकू सिंह पुत्र ज्ञान सिंह निवासी गवारखान थाना बहिलपुरवा द्वारा थाना कोतवाली कर्वी में सूचना दी गई कि 02 अज्ञात चोरो द्वारा कैमहा पुरवा मजरा खरौंध थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट से उनकी मोटर साइकिल चोरी कर ली है ।
प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली कर्वी में मु0अ0सं0 479/2026, धारा 303(2) बीएनएस बनाम 02 अज्ञात चोर पंजीकृत किया गया।
दिनांक 07.09.2026 को उ0नि0 श्री यादवेन्द्र सिंह यादव व उनकी टीम द्वारा खोह पुलिस लाइन तिराहा पर चेंकिग के दौरान अभियुक्त 1.जीतेन्द्र कुशवाहा पुत्र राजकिशोर कुशवाहा निवासी ग्राम बाधा थाना अतर्रा जनपद बांदा हाल मुकाम मुलायम नगर थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट 2.अंकित उर्फ कल्वा पुत्र राजकरन निवासी मुलायम नगर थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को चोरी की मोटर साइकिल सहित गिरफ्तार किया गया। बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) की बढोत्तरी की गयी।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम
उ0नि0 श्री यादवेन्द्र सिंह यादव
आरक्षी प्रताप सिंह
आरक्षी ग्यासुद्दीन
आरक्षी विपिन कुमार

प्रेस नोट-चित्रकूट पुलिस

थाना पहाड़ी पुलिस टीम ने हत्या के प्रयास के मुकदमे में वांछित हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त को अवैध तमंचा व जिन्दा कारतूस के साथ किया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्रवाई के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री पीयूष कान्त राय एवं क्षेत्राधिकारी राजापुर श्री यामीन अहमद के पर्यवेक्षण तथा प्रभारी निरीक्षक थाना पहाड़ी श्री निशिकान्त राय के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री सत्यनारायण सिंह एवं उनकी टीम द्वारा हत्या के प्रयास के मुकदमे में वांछित हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त राममिलन पुत्र रामप्यारे, उम्र करीब 35 वर्ष, निवासी कलवारा बुजुर्ग, हाल पता बरेठी रोड, कस्बा व थाना पहाड़ी, जनपद चित्रकूट को 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर एवं 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 07.09.2026 को वादी बलराम पुत्र ननकाई यादव निवासी जनपद चित्रकूट द्वारा थाना पहाड़ी पर तहरीरी सूचना दी गई कि अभियुक्त राममिलन उपरोक्त द्वारा उसे लोदहा रोड के पास रोककर गाली-गलौज की गई तथा जान से मारने की नीयत से चाकू से दो बार प्रहार किया गया। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना पहाड़ी पर मु0अ0सं0 177/26, धारा 109(1), 118(1), 126(2), 351(3), 352 बीएनएस बनाम राममिलन उपरोक्त पंजीकृत किया गया।

विवेचना के दौरान अभियुक्त राममिलन के पूर्व से हिस्ट्रीशीटर होने की जानकारी प्राप्त हुई। मुखबिर की सूचना पर उ0नि0 श्री सत्यनारायण सिंह एवं उनकी टीम द्वारा वांछित हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त राममिलन उपरोक्त को दिनांक 08.09.2026 को समय 00:30 बजे बरेठी रोड तालाब के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर एवं 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ। उक्त बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध थाना पहाड़ी पर मु0अ0सं0 178/26, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की गई।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

राममिलन पुत्र रामप्यारे, उम्र करीब 35 वर्ष, निवासी कलवारा बुजुर्ग, हाल पता बरेठी रोड, कस्बा व थाना पहाड़ी, जनपद चित्रकूट।

बरामदगी-

01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर

01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर

आपराधिक इतिहास का विवरण-

01.मु0अ0स0 228/163/25 आर्म्स एक्ट थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट

02. मु0अ0स0 44/16 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना पहाडी जनपद चित्रकूट

03. मु0अ0स0 45/16 धारा 8/20 एन.डी.पी.एस.एक्ट पहाडी जनपद चित्रकूट

04. मु0अ0स0 274/16 धारा 60 आब0अधि0 थाना पहाडी जनपद चित्रकूट

05. मु0अ0स0 417/17 धारा 8/20 एन.डी.पी.एस. एक्ट पहाडी जनपद चित्रकूट

06. मु0अ0स0 1123/17 धारा 393/411 भा0द0वि0 थाना कोत0कर्वी जनपद चित्रकूट

07. मु0अ0स0 1141/17 धारा 8/20 एन.डी.पी.एस एक्ट थाना कोत0कर्वी जनपद चित्रकूट

08. मु0अ0स0 92/18 धारा 8/20 एन.डी.पी.एस एक्ट थाना पहाडी जनपद चित्रकूट

09. मु0अ0स0 29/18 धारा 3 यू.पी.गुण्डा अधि. थाना पहाडी जनपद चित्रकूट

10. मु0अ0स0 118/18 धारा 10 यू.पी. गुण्डा अधि. थाना पहाडी जनपद चित्रकूट
11. मु0अ0स0 69/19 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पहाडी थाना जनपद चित्रकूट
12. मु0अ0स0 74/21 धारा 8/20 एन.डी.पी.एस. एक्ट थानापहाडी जनपद चित्रकूट
13. मु0अ0स0 147/22 धारा 10 यू.पी. गुण्डा अधि. थाना पहाडी जनपद चित्रकूट
14. मु0अ0स0 14/20 धारा 3 यू.पी. गुण्डा अधि. थाना पहाडी जनपद चित्रकूट
15. मु0अ0स0 35/23 धारा 60 आब0अधि0 थाना पहाडी चित्रकूट
16. मु0अ0स0 88/23 धारा 323/504/506भा0द0वि0 थाना पहाडी जनपद चित्रकूट
17. मु0अ0स0 4/23 धारा 3 यू.पी. गुण्डा अधि0 थाना पहाडी जनपद चित्रकूट
18. मु0अ0स0 138/23 धारा 323/504/506 भा0द0वि0 थाना पहाडी जनपद चित्रकूट
19. मु0अ0स0 236/23 धारा 379/411 भा0द0वि0 थाना पहाडी जनपद चित्रकूट
20. मु0अ0स0 65/25धारा 316(2)/317(2)/318(2)/324(5)/351(2)/352 बीएनएस थाना पहाडी जनपद
21. मु0अ0स0 151/26 धारा 115(2)/333/351(3)/352 बीएनएस थाना पहाडी जनपद चित्रकूट
22. मु0अ0स0 177/26 धारा 109(1)/118(1)/126(2)/351(3)/352 बीएनएस थाना पहाडी जनपद चित्रकूट
23. मु0अ0स0 178/26 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना पहाडी जनपद चित्रकूट

गिरफ्तारी करने वाली टीम -

1.उ0नि0 श्री सत्यनारायण सिंह

2. का0 मिथिलेश भारद्वाज

3. का0 सत्येश कुमार

(2).पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में सामाजिक रिश्तों को बचाने हेतु किये जा रहे प्रयासों के क्रम में पुलिस कार्यालय स्थित परिवार परामर्श केन्द्र पुलिस टीम द्वारा आपसी पारिवारिक झगड़े को समाप्त कराकर परिवार में सुलह कराते हुए 02 परिवार को टूटने से बचाया।

(1).प्रथम पक्ष आवेदिका विमला देवी पत्नी अशोक कुमार निवासी अमवा बकटाबुजुर्ग थाना सरधुवा द्वारा द्वितीय पक्ष पति अशोक कुमार पुत्र जियालाल निवासी उपरोक्त (2). प्रथम पक्ष प्रियंका वर्मा पुत्री बद्री प्रसाद निवारी द्वारिकापुरी पुरानी बाजार द्वारा दितीय पक्ष पति आशीष कुमार पुत्र राजाराम निवासी बुद्धविहार कॉलोनी प्रेमनगर जनपद झांसी के विरुद्ध लड़ाई झगड़ा,मारपीट ,गाली गलौज तथा घर से बाहर निकालने करने के सम्बन्ध में में पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के समक्ष प्रार्थना पत्र दिया गया था। पुलिस अधीक्षक चित्रकूट द्वारा दोनों प्रार्थना-पत्र के निस्तारण हेतु प्रभारी परिवार परामर्श केन्द्र को निर्देशित किया गया था। परिवार परामर्श केन्द्र प्रभारी श्रीमती अनुपमा तिवारी,उ0नि0 श्रीमती शकुन्तला देवी,महिला आरक्षी सोनिका द्विवेदी एवं आरक्षी अनामिका सिंह द्वारा शिकायतकर्ता की शिकायतों को विस्तारपूर्वक सुनकर समझकर द्वितीय पक्ष से सम्पर्क करके उन्हें पुलिस कार्यालय स्थित परिवार परामर्श केंद्र बुलाया गया तथा दोनों पक्षों को समझाया गया। दोनों पक्षों द्वारा भविष्य में आपस में पारिवारिक सामजस्य बनाकर रहने तथा कर्तव्यों का सही से पालन करने की बात कही गयी । आपसी सुलह होने पर दम्पत्ति जोड़ो को एक दूसरे के साथ-साथ आपस में सामन्जस्य बिठाकर एवं परिवारिक दायित्यों को सही प्रकार से निर्वहन करने हेतु सलाह दी गयी।

समझौता कराने वाली टीमः-

1.उ0नि0 श्रीमती अनुपमा तिवारी प्रभारी परिवार परामर्श केन्द्र

2.उ0नि0 श्रीमती शकुन्तला देवी

3.महिला आरक्षी सोनिका द्विवेदी

4.महिला आरक्षी अनामिका सिंह

(3).

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में थानाध्यक्ष बहिलपुरवा श्री विवेक कुमार सिंह, पैरोकार आरक्षी मनीष यादव, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल उ0नि0 श्री कमल किशोर एवं उनकी टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं अपर जिला शासकीय अधिवक्ता श्री सनद कुमार मिश्रा द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम/स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट चित्रकूट श्री राहुल मिश्रा द्वारा आज दिनाँक 08.09.2026 को थाना बहिलपुरवा में पंजीकृत मु0अ0सं0 40/22 धारा 08/20 NDPS एक्ट के आरोपी अभियुक्त लवकुश यादव पुत्र रामसंजीवन यादव निवासी ग्राम किशन पुरवा मजरा करका पड़रिया थाना बहिलपुरवा जनपद चित्रकूट को जेल में बिताई गयी अवधि व 1400/- रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

(4). पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक मानिकपुर श्री अजीत कुमार पाण्डेय, पैरोकार मुख्य आरक्षी अजय कुमार, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल उ0नि0 श्री कमल किशोर एवं उनकी टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी

एवं अपर जिला शासकीय अधिवक्ता श्री सनद कुमार मिश्रा द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम/स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट चित्रकूट श्री राहुल मिश्रा द्वारा आज दिनाँक 08.09.2026 को थाना मानिकपुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 74/22 धारा 08/20 NDPS एक्ट के आरोपी अभियुक्त शिवनारायण पुत्र रतिराम वर्मा निवासी नरायच थाना मौदहा जनपद हमीरपुर को जेल में बिताई गयी अवधि व 2000/- रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

(5). पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री अभयराज सिंह, पैरोकार आरक्षी वेदान्त पाण्डेय, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल उ0नि0 श्री कमल किशोर एवं उनकी टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं अपर जिला शासकीय अधिवक्ता श्री सनद कुमार मिश्रा द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम/स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट चित्रकूट श्री राहुल मिश्रा द्वारा आज दिनाँक 08.09.2026 को कोतवाली कर्वी में पंजीकृत मु0अ0सं0 793/2024 धारा 08/20 NDPS एक्ट के आरोपी अभियुक्त संतोष पुत्र रामबाबू रैकवार निवासी लक्ष्मणपुरी कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को जेल में बिताई गयी अवधि व 1200/- रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।